न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(शिवचरण मीना,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्याः– 37 / 2021

प्रविष्टि दिनांकः– 06.10.2021

1–रामदियाल पुत्र गंगाराम धाकड निवासी माधोसिंहपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज. हाल निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक
2–भंवरलाल पुत्र रामकरण धाकड़ निवासी माधोसिंहपुरा तहसील देवली जिला टोंक
3–रामकरण पुत्र छोटू धाकड़ निवासी माधोसिंहपुरा तहसील देवली जिला टोंक

..... अपीलाण्टस

बनाम

1–ग्राम पंचायत पनवाड़ जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत पनवाड जिला टोंक
2–तहसीलदार देवली जिला टोंक

..... रेस्पोडेण्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 112 दिनांक 20.04.2004

उपस्थितः (1)श्री अशोक गुप्ता, अभिभाषक अपीलाण्ट
(2)श्री रामप्रसाद कुमावत, पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 05.07.2023

संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि अपीलान्टस की खातेदारी की भूमि खसरा नं. 243 रकबा 2.02 हैक्टर ग्राम माधोसिंहपुरा तहसील देवली में से 0.15 हैक्टर भूमि अर्थात 1500 वर्गमीटर भूमि कृषि भूमि से आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवायी गयी थी परन्तु दिनांक 20.04.2004 को अपीलान्टस के नाम कृषि भूमि से आवासीय में अंकित करने के बजाए बिना किसी कारण के उक्त भूमि का नामान्तकरण सं. 112 ग्राम पंचायत पनवाड के नियंत्रण में सिवायचक/आबादी/आवासीय प्रयोजनार्थ नामान्तकरण भरकर स्वीकार कर दिया। उक्त नामान्तकरण को विधि विधान एवं वास्तविक तथ्यों के विपरित बताते हुए नामान्तकरण को निरस्त करवाने हेतु उक्त अपील पेश की गई है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण से संबंधित पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्टस सं. 1 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए जाने के बावजूद वे उपस्थित नहीं हुए। अतः अप्रार्थी सं. 1 सरपंच

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

ग्राम पंचायत पनवाड के विरूद्ध दिनांक 20–1–2023 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव रेस्पो सं. 2 राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण विधि–विधान एवं वास्तविक तथ्यों के विपरित होने से चलने योग्य नहीं है व निरस्त किये जाने योग्य हैं। खसरा नं. 243 रकबा 2.02 हैक्टर ग्राम माधोसिंहपुरा तहसील देवली में से 0.15 हैक्टर/1500 वर्गमीटर रकबे का संपरिवर्तन आदेश दिनांक 06.04.2004 को विहित प्राधिकारी/तहसीलदार देवली द्वारा जारी किया गया था जो कि अपीलान्टस ने अपनी सुविधानुसार उपयोग–उपभोग करने तथा अपने परिवार के जीवन यापन करने के लिए आवासीय सुविधा के अनुसार मकान बनवाने के लिए संपरिवर्तन करवाया है जिसका अपीलान्टस को वैधानिक अधिकार प्राप्त है, रेस्पोडेण्टस नं. 1 को यह अधिकार प्राप्त नहीं है तथा ऐसा कानून नहीं है कि खातेदार काश्तकार अपनी भूमि को संपरिवर्तन करवाता है तथा काफी धन राशि खर्च करके मकान बनाना चाहता है तो उक्त भूमि को खातेदार के नाम स्वामित्व में रखने के बजाए सिवायचक या आबादी/आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित कर दे। प्रार्थी को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी नहीं थी आज से कुछ दिन पहले ग्राम पंचायत ने अपीलान्ट को उक्त भूमि से बेदखल करने तथा मकान हटाने की धमकी दी तब अपीलान्ट्स ने नामान्तरकरण की नकल हेतु दिनांक 22–3–2021 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी नकल प्रार्थी को दिनांक 24–9–2021 को प्राप्त हुई, तत्पश्चात अविलम्ब अपील मय दफा–5 के प्रार्थना पत्र के साथ अपील पेश की गई है । अतः उक्त नामान्तकरण गैर कानूनी है तथा चलने योग्य नहीं है।

भूमि खसरा नम्कर 243 से रेस्पोडेण्टस नं. 1 का भी कोई लेना–देना किसी प्रकार का नहीं है, यह सरकारी भूमि तथा आरक्षित भूमि नहीं है परन्तु गलत रूप से ग्राम पंचायत के नियंत्रण में दी गयी है जब कि उनका कोई लेना–देना नहीं है, यह भूमि अपीलान्टस की व्यक्तिगत खातेदारी की निजी भूमि है, उक्त नामान्तकरण अवैधानिक है, उसको स्वीकार करने से पहले अपीलान्टस को सुनवाई का तथा अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया, उक्त नामान्तकरण राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट प्रावधानों के तहत अपीलान्टस के पक्ष में तस्दीक किया जाना चाहिए था परन्तु गैर कानूनी तरीका अपनाकर रेस्पोडेन्टस के नाम स्वीकार कर दिया जब कि इस भूमि के खातेदारी अधिकारी व स्वामित्व अपीलान्टस में निहित है। उक्त नामान्तकरण प्रथम दृष्टया ही अवैध व शून्य है क्योंकि बिना क्षेत्राधिकार के तहसीलदार ने स्वीकार किया है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 112 निरस्त किया जावे तथा वादग्रस्त भूमि का नामान्तकरण अपीलान्टस के पक्ष में तस्दीक करने के लिए तहसीलदार देवली को निर्देश प्रदान करे।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त भूमि का नामान्तकरण स्वीकार किया है वह नियमानुसार है। अतः अपील अपीलान्टस निरस्त फरमायी जावे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस को सुना एंव बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्टस की खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 243 रकबा 2.02 हैक्टर ग्राम माधोसिंहपुरा तहसील देवली में से 0.15 हैक्टर/1500 वर्गमीटर रकबे का संपरिवर्तन आदेश दिनांक 06.04.2004 को विहित प्राधिकारी/तहसीलदार देवली द्वारा आदेश जारी किया गया था जो कि अपीलान्टस ने अपनी सुविधानुसार उपयोग–उपभोग करने तथा अपने परिवार के जीवन यापन करने के लिए आवासीय सुविधा के अनुसार मकान बनवाने के लिए संपरिवर्तन करवाया है, परन्तु दिनांक 20.04.2004 को अपीलान्टस के नाम कृषि भूमि से आवासीय में अंकित करने के बजाए बिना किसी कारण के उक्त भूमि का नामान्तकरण सं. 112 ग्राम पंचायत पनवाड के नियंत्रण में सिवायचक/आबादी/आवासीय प्रयोजनार्थ नामान्तकरण भरकर स्वीकार कर दिया। जबकि ग्राम पंचायत पनवाड के नाम का कोई भी वैधानिक नामान्तकरण नहीं होना चाहिए था। नामांतकरण भरने से पूर्व अपीलान्टस को सुनवाई का एवं अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया हे जो उचित नहीं है।

ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्टस आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 112 निरस्त किया जाकर तहसीलदार देवली को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता हैं कि पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवचरण मीना)
अति.जिला कलेक्टर,टोक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोक